

प्रेस नोट –
थाना सकरार, झाँसी

दिनांक- 14-09-25

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल पर्यवेक्षण एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 14.09.2025 को थाना सकरार पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता श्रीमती मोनिका पत्नी अनुराग निवासी कस्बा सकरार थाना सकरार जनपद झाँसी उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 20 लीटर अवैध कच्ची बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्ता के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-138/25 धारा - 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण – मु0अ0सं0-138/25 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम

नाम व पता अभियुक्ता - मोनिका पत्नी अनुराग निवासी कस्बा व थाना सकरार जनपद झाँसी उम्र 27 वर्ष

बरामदगी – 20 ली0 अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी का स्थान- सकरार झाडी बाबा गेस्ट हाऊस के बगल से आदिवासी मुहल्ला जाने वाले रास्ते से करीब 50 मीटर अन्दर, थाना सकरार जनपद झाँसी

कार्यवाही करने वाली टीम के अधि0/कर्म गण का नाम-

- 1 – श्री अमीराम सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सकरार जनपद झाँसी
- 2 – उ0नि0 श्री शिवकान्त दुबे थाना सकरार जनपद झाँसी
- 3- का0 1852 रवि कुमार थाना सकरार जनपद झाँसी
- 4 – म0का0 1367 रुचि भदौरिया थाना सकरार जनपद झाँसी